प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर　　　　दिनांकः- 03.10.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 01 बाल अपचारी को 08 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 2,42,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 25.04.2019 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सीताराम निवासी ग्राम आदर्शनगर गली नम्बर ए/4, कस्बा नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 19.04.2019 को वादी का पुत्र घर के बिना बताये कही चला गया था। दिनांक 23.04.2019 को वादी के बेटे को अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर उसके शव को थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत भरेकी की नहर में छिपा दिया था, जिसकी वादी द्वारा मौके पर पहुंचकर शिनाख्त की गयी। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 225/19 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान हर्ष वर्मा उर्फ सूरज आदि सहित 04 अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आये। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.10.2024 को मा0 न्यायालय पॉक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 225/2019 धारा 302/204/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 1- हर्ष वर्मा उर्फ सूरज पुत्र संजीव वर्मा निवासी मौ0 आदर्शनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2- मनीष उर्फ राजा पुत्र विरेन्द्र त्यागी नि0 ग्राम बडा कनकपुर गढमलपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर 3- रितुल कुमार पुत्र समरपाल सिंह निवासी ग्राम महेश्वरी जट थाना कोतवाली देहात बिजनौर को आजीवन कारावास व एक बाल अपचारी को आठ वर्ष के कठोर कारावास व कुल 2,42,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- हर्ष वर्मा उर्फ सूरज पुत्र संजीव वर्मा निवासी मौ0 आदर्शनगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2- मनीष उर्फ राजा पुत्र विरेन्द्र त्यागी नि0 ग्राम बडा कनकपुर गढमलपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर।

3- रितुल कुमार पुत्र समरपाल सिंह निवासी ग्राम महेश्वरी जट थाना कोतवाली देहात बिजनौर।

4- एक बाल अपचारी।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 03.10.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 439/24 धारा 61(2)/123/352/351(3) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

दिनांक 31.08.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 21.07.2024 को अभियुक्तगण 1.दीपांशु पुत्र लोकेश 2.सिंटू पुत्र मुन्ने 3.लोकेश पुत्र रेवा निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद द्वारा वादी की पुत्रवधु 4.पुष्पा पत्नी अनिल निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा षडयन्त्र के तहत नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया तथा घर पर रखे आभूषण एवं नगदी ले गये तथा शिकायत करने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 439/2024 धारा 61(2)/305/123/352/351(3) बीएनएस बनाम दीपांशु आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचना में साक्ष्यो के अभाव मे धारा 305 बीएनएस का लोप किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.10.2024 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता 1.पुष्पा पत्नी अनिल 2.दीपांशु पुत्र लोकेश 3.सिंटू पुत्र मुन्ने निवासीगण ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.पुष्पा पत्नी अनिल निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
2.दीपांशु पुत्र लोकेश निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
3.सिंटू पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 505 मंजीत सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 1221 आशीष कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
4.म0कां0 1194 पूजा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंड़ावली **दिनांक- 03.10.2024**

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 143/24 धारा 115(2)/75 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.10.2024 को वादी ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि अभियुक्त दानिश पुत्र छिदा निवासी ग्राम नारायणपुर रतन थाना मंड़ावली जनपद बिजनौर ने वादी की भतीजी के साथ बाजार से घर आते समय रास्ते मे रोककर मारपीट, अभद्रता तथा छेडछाड की। तहरीर के आधार पर थाना मंड़ावली पर मु0अ0सं0 143/24 धारा 115(2)/75 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना मंड़ावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र छिदा निवासी ग्राम नारायणपुर रतन थाना मंड़ावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दानिश पुत्र हिद्दा हुसैन निवासी ग्राम नारायणपुर रतन थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 चांद मिया थाना मंडावली जनपद बिजनौर

2.का0 1380 ईमरान थाना मंडाली जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 03.10.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 495/24 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.09.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 22.09.2024 को समय करीब 11.00 बजे वादी की पुत्री ज्योति पत्नी सतवीर निवासी ग्राम लाटरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के साथ जंगल में लकड़ी लेने के लिए गयी थी। जिसके बाद ज्योति घर वापस आ गयी लेकिन वादी की पुत्री घर वापस नही आयी। ज्योति ने वादी की पुत्री को कहीं गायब कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 495/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम ज्योति उपरोक्त पंजीकृत किया गया। थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त मनोज पुत्र परम सिंह निवासी ग्राम बुन्द्रा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा विवेचना मे धारा 61(2) की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता 1.ज्योति पत्नी सतवीर निवासी ग्राम लाटरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर तथा प्रकाश मे आये अभियुक्त 2.मनोज पुत्र परम सिंह निवासी ग्राम बुन्द्रा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.ज्योति पत्नी सतवीर निवासी ग्राम लाटरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.मनोज पुत्र परम सिंह निवासी ग्राम बुन्द्रा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 506 देवेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2295 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4.म0कां0 1265 प्रीति चौधरी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 03.10.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 459/2024 धारा 64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.09.2024 को वादिनी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि करीब 04 माह पूर्व तबियत खराब होने पर वादिनी अपने पडोसी वसीलुद्दीन उर्फ लोरे के साथ कस्बा चांदपुर के मौ0 पतियापाडा में स्थित डॉ0 शकील हाशमी के अस्पताल में गयी थी, जहाँ वसीलुद्दीन उपरोक्त ने किसी नर्स से वादिनी को बेहोशी का इंजेक्शन लगवाकर वादिनी के साथ गलत काम किया तथा डॉ0 शकील हाशमी से वादिनी की वीडियो बनवा ली व वीडियो वायरल करने की धमकी दी । इसके बाद कई बार वसीलुद्दीन ने वादिनी को डॉ0 शकील के अस्पताल में बुलाकर वीडियो वायरल करने का भय दिखाकर वादिनी के साथ जबरन गलत काम किया, जिसमें डॉ0 शकील ने भी वसीलुद्दीन का सहयोग किया। दिनांक 19.07.2024 को वादिनी द्वारा वसीलुद्दीन के पुत्र अजीम से शिकायत करने पर अजीम द्वारा वादिनी के साथ गाली-गलौच व अभद्रता की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 459/24 धारा 64/123/115(2)/352/351(3)/61(2) बीएनएस बनाम 1.वसीलुद्दीन उर्फ लोरे 2.डॉ0 शकील हाशमी 3.नर्स (नाम नामालूम) व 4.अजीम पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वसीलुद्दीन उर्फ लोरे पुत्र जमीरूद्दीन निवासी ग्राम पित्तनऔंधा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वसीलुद्दीन उर्फ लोरे पुत्र जमीरूद्दीन निवासी ग्राम पित्तनऔंधा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

अभियुक्त वसीलुद्दीन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 74/23 धारा 147/148/149/336/307/323/504/506/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 459/24 धारा 64 बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री पुष्कर सिंह मेहरा, थानाध्यक्ष चांदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 865 धन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर